

**मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना**

1.	योजना का नाम	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य का समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में निःशुल्क उपचार किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क इलाज हेतु एम्स, नई दिल्ली अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर भी किया जाता है। प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत केवल बीपीएल परिवारों को ही शामिल किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर अन्य नई श्रेणियों के परिवारों/व्यक्तियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 11 श्रेणियों के व्यक्तियों/परिवार के सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009
4.	लाभान्वित वर्ग	बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी, नवजीवन योजना (जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियों के लाभार्थी परिवार), अन्त्योदय अन्न योजना (बारां जिले के सहरिया परिवार), अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, कथौड़ी जनजाति के परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका, जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजन। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों की निःसंतान दंपतियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जायेगा।
5.	पात्रता	संबंधित श्रेणी का कार्ड होने की स्थिति में ही संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य को निःशुल्क उपचार ग्रहण करने के पात्र माना जायेगा।
6.	देय सुविधाएं	निःशुल्क चिकित्सा सुविधा (इन्डोर एवं आउटडोर)
7.	सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया	संबंधित श्रेणी का व्यक्ति या परिवार का सदस्य संबंधित श्रेणी का कार्ड दिखाकर राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे एम्स, नई दिल्ली अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ भी रेफर किया जाता है।
8.	सम्पर्क सूत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन</li> <li>● संबंधित संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर</li> <li>● निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं</li> <li>● प्रधानाचार्य/नियंत्रक संबंधित मेडिकल कॉलेज</li> <li>● परियोजना निदेशक, एमएमजेआरके</li> <li>● संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी</li> <li>● प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिला चिकित्सालय</li> </ul>